संख्या– 503 /2009/32CM/XIV–2/2005

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 20 अगस्त, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–515/XXVII (1)/2009,दिनांक 28.07.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति हेतु प्राक्कलनित धनराशि रू0 10.00 लाख रूपये (दस लाख रूपये मात्र) व्यय करने हेतु आपके नियंत्रण पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवम् व्यय किया जाएगा।

3) प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के विभिन्न पदों पर नियुक्त मानदेय हेतु गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाए।

4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर आवंटित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0–13 पर दिसम्बर तक 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए तथा आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

5) धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जाये एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए।

6) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित धनराशि की सीमा तक ही किया जाए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए।

7) स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग,गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8) विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर नियमित रूप से वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए, जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाए।

10) उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-17 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-108-वाणिज्यिक फसले-05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

11) यह आदेश वित्त विभाग के अ0सं0 98(NP)/XXVII-4/09, दिनांक 13 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या-५०३ (1)/2009/32CM/XIV-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।
3- सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार/देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
4- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
5- बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।